न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.–1, इटावा।

उपस्थितः रुपेन्द्र सिंह टोंगर, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O. CODE : UP02706

प्रतिभू प्रार्थना पत्र सं.–638/2026

CNR No. :UPEW010020402026

वछरुआ उर्फ नवनीत पुत्र प्रमोद कुमार, निवासी ग्राम वखर, थाना चौबिया, जिला इटावा। हाल निवास गौरापुरा, थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी, जिला इटावा।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी/अभियोजन

मुकदमा अपराध सं.–375/2025
धारा–191(2), 125(बी), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा–9/25/27 आयुध अधिनियम।
थाना–फ्रेण्ड्स कॉलोनी, ज़िला इटावा।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री नरेश चन्द्र यादव।
अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–श्री अजीत प्रताप सिंह तोमर।

दिनाँक–07.04.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **वछरुआ उर्फ नवनीत** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–375/2025 धारा–191(2), 125(बी), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा–9/25/27 आयुध अधिनियम थाना–फ्रेण्डस कॉलोनी, ज़िला इटावा के मामले में अग्रिम ज़मानत हेतु यह ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

2. ज़मानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रमोद कुमार का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किये गये हैं कि अभियुक्त का यह प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य प्रतिभू प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में नहीं दिया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस अभियोग में गलत फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वह प्राथमिकी में नामज़द नहीं है। उसके खिलाफ कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। पुलिस उसे दिनाँक–28.03.2026 को उसके घर से पकड़कर थाने लायी और उससे तमंचे व कारतूस की फर्जी बरामदगी दिखाकर उसका चालान इस अभियोग में कर दिया, जबकि उसके कब्जे से कथित बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी का कोई जनता का साक्षी भी नहीं है। वह कक्षा–11 का रेगुलर छात्र है। उसका भविष्य खराब करने के लिये उसके परिवार के विरोधियों ने पुलिस से मिलकर उस पर बरामदगी दिखायी है। इस न्यायालय में उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले में नामित अभियुक्त प्रसून यादव की जमानत मजिस्ट्रेट न्यायालय से दिनाँक–19.12.25 को आत्मसमर्पण के दिन ही स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनाँक–29.03.26 से जेल में बन्द है, जिस कारण उसकी पढ़ाई में रुकावट हो रही है। वह जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः याचना की गयी कि दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

4. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा पृथ्वीराज भदौरिया द्वारा थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी इटावा में मुकदमा अपराध सं.–375/2025 अंतर्गत धारा–125(B), 191(B), 352, 35(3) भा.न्याय संहिता अभियुक्त प्रशून यादव व 04 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनाँक–11.12.2025 को इस आशय का पंजीकृत कराया कि दिनाँक–09.12.2025 को समय 9.5 के लगभग

Digitally signed by RUPENDRA SINGH TONGAR
Date: 2026.04.08 16:56:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

05 लड़के, जिनमें से एक प्रशून यादव व चार अन्य उसके घर के बाहर आये और जबरन घर में प्रवेश करने की कोशिश की। गेट न खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। जाति सूचक गाली दी और उनमें से दो लड़कों ने सामने से जान से मारने की नीयत से दो फायर किये, जिसका सी.सी.टी.वी. वीडियो भी है।

दौरान विवेचना दिनांक–28.03.2026 को उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह द्वारा मय हमराहियान भरथना चौराहे पर चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मनोरंजन सदर के पास रेलवे कॉलोनी में पानी की टंकी के पास रोड पर से आवश्यक बल प्रयोग करके अभियुक्त बछरुआ उर्फ नवनीत को गिरफ्तार किया गया तथा जामातलाशी में उसके कब्जे से पहनी पेंट की बायीं फेट में खुरसा हुआ एक अदद देसी तमंचा 315 बोर व पेंट की दाहिनी जेब से एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामद माल को सर्व सील मोहर किया गया। फर्द मौके पर लैपटाप टाईप करायी गयी, जिसकी प्रिंटआऊट कां. महेन्द्र के जरिए थाना से निकलवा कर मंगवायी गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस ने उसे घर से पकड़कर इस मामले में झूठा लिप्त कर दिया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। दर्शित गिरफ्तारी व बरामदगी झूठी व फर्जी है। वह कक्षा–11 का रेगुलर छात्र है। सहअभियुक्त की जमानत मजिस्ट्रेट न्यायालय से हो चुकी है। वह दिनांक–29.03.26 से कारागार में निरुद्ध है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा। अतः याचना की गयी कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाए।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दण्ड) द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाए।

7. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दण्ड) के तर्कों को सुना एवं प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

8. केस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर धारा–191(2), 125(बी), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–9/25/27 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है। अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। केस डायरी के पर्चा नं.–3 व 4 में वादी मुकदमा के भाई व मुखबिर खास को अन्य लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभियुक्त/प्रार्थी का नाम प्रकाश में आना दर्शित है। कथानक के अनुसार अभियुक्त पर वादी के घर पर आयुध से फायर करना बताया है, परन्तु कथित घटना में किसी के आहत होने संबंधी कोई तथ्य न तो दर्शित है और न ही ऐसा कोई चिकित्सीय प्रपत्र ही केस प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद होना बताया है। उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी दर्शित नहीं है। थाने की आख्या में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनाँक–29.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसे कक्षा–11 का छात्र बताते हुए उसके द्वारा जमानत का दुरुपयोग न किये जाने तथा विचारण में सहयोग किये जाने के कथन किये गये हैं।

9. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **वछरुआ उर्फ नवनीत** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–375/2025 धारा–191(2), 125(बी), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–9/25/27 आयुध अधिनियम थाना–फ्रेण्ड्स कॉलोनी, ज़िला इटावा के मामले में प्रस्तुत प्रश्नगत ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/–रुपये (पचास हजार रुपये)** का **व्यक्तिगत बंध** पत्र तथा इतनी ही राशि का **एक विश्वसनीय प्रतिभू** संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निष्पादित करने पर आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दौरान विचारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–35 में वर्णित उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर रिहा किया जाए–

i. आवेदक/अभियुक्त, विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा न्यायालय में नियत तिथियों पर उपस्थित होगा तथा अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा,
ii. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रयक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति या साक्षी को

कोई ऐसी उत्प्रेरण, धमकी, वचन नहीं देगा, जिससे कि वह व्यक्ति या साक्षी उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत न करने के लिये मनाया जा सके।

iii. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जायेगा,

iv. आवेदक/अभियुक्त इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, जैसा कि उस पर आरोप है।

v. आवेदक/अभियुक्त मामले से संबंधित साक्ष्यों से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी ज़मानत निरस्त किये जाने के संबंध में संबंधित न्यायालय को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी।

सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति ज़रिए ई–मेल, केन्द्रीय कारागार इटावा को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनाँक–07.04.2026

(**रुपेन्द्र सिंह टोंगर**)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या–01, इटावा।
J.O. CODE : UP02706